

प्रेस नोट

थाना माधोटाण्डा पुलिस द्वारा 10 हजार का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 03.09.2020 को मुझ व0उ0नि0 सतीश वाजपेई मय हमराहीयान कर्मचारी गण के थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 196/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का पुरस्कार घोषित वाछिंत अभियुक्त आमिर खान उम्र 22 वर्ष पुत्र साहबुद्दीन निवासी ग्राम डगा थाना माधोटाडां जिला पीलीभीत जो कि काफी दिनो से फरार चल रहा था को मय एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक कारतूस जिन्दा 12 बोर के गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त काफी दबिशे देने के उपरान्त भी गिरफ्तार नहीं हो सका था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत द्वारा 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उपरोक्त अभियुक्त थाना माधोटांडा के टॉप 10 अपराधी में है।

अभियुक्त आमिर खान पुत्र साहबुद्दीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

1. मु0अ0स0 196/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना माधोटांडा
2. मु0अ0स0 50/20 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 थाना माधोटांडा
3. मु0अ0स0 225/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना माधोटांडा

पुलिस टीम ---

1. व0उ0नि0 सतीश वाजपेई
2. का0 पंकज पँवार
3. का0 रामबहादुर